#### परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

केंद्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, प.ऊ.कें.वि.-6, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094

#### ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

Central Office, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai – 400 094.

प.ऊ.कें.वि.-1, 2, 3, 4, 5, 6, कनिष्ठ महाविद्यालय और केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई के सभी कर्मचारियों कोवित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.: 370142/13/2020-TPL दिनांकित 13.04.2020 के मामले में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर निर्धारण उद्देश्य हेतु निम्नलिखित विकल्प का चयन करना अपेक्षित है।

All employees in AEC School-1,2,3,4,5,6,JC and Central Office, AEES, Mumbai are required to exercise the following option for the purpose of Income Tax Assessment for the financial year 2022-23 in terms of the Ministry of Finance OM No:370142/13/2020-TPL dated 13/04/2020.

ं 1.  कर्मचारी का विवरण ∕ PARTIO	, , THE ELL AND OF THE ELL	MDI OVEE:		
ा. अने वारा का विवर्ग/FARTIC नाम/Name	COLARS OF THE E	WIF LOTEE.		
गदनाम/ Designation				
कार्यालय /Place of Work				
ौन/PAN				
क.प.सं./ EMPID NO.				
कंप्यूटर कोड संख्या / C.C.NO.				
	one / Mobile No			
ई-मेल आईडी / E-mail ID.				
आवासीय पता / Residential Ad	dress			
आधार संख्या / Aadhar No .		0 4 .		
		लिए आयकर स्लैब/Income tax		ear 2022-23
<del>0 - 0</del>		ए (पुरानी कर व्यवस्था)/OPTION विकल्प-ए का चयन करने वाले कर्मच		
	•	।वकल्प-ए का चयन करन वाल कमच ure required to fill incom		•
कर्मचारी जिनकी आयु 60 वर्ष से		वरिष्ठ नागरिकों के लिए (60 वर्ष		आयकर की दर
Employees having age of		आयु) / For Senior Citizens less than 8	s (beyond 60 years but	Rate of Income Tax
रु. 2,50,000 तक / U	pto Rs.2,50,000	रु. 3,00,000 तक/ U		शून्य / NIL
रु. 2,50,001से रु.	5,00,000 तक/	रु. 3,00,001से रु.		5%
र. 5,00,001से रु.	10,00,000 तक	र. 5,00,001से र. 10,00,000 तक/		20%
रु. 10,00,000 से आयकर पर स्वास्थ और शिक्षा उपय		रु. 10,00,000 से	अधिक /Above	30%
For taxable income u रु. 12500/- whichever is	पर 100% आयकर के बरा ptoरु. 5 lakhs, ind less is allowed.	ाबरराशी या रु. 12500/- इनमें जो come tax rebate of an a	mount equal to 100%	•
मैं पुराने स्लैब में बने रहने का चयन opt to stay in the old slab and v	करता हूँ और वित्तीय वर्ष will not ask for revision	2022-23 में इसके परिशोधन की म of the same in FY 2022-23.	ांग नहीं करूंगा।	
इस्ताक्षर/Signature:	नाम / Name		पदनाम / Desi	gnation
χ ( ( ( ( ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο ( ) ο (	विकल्प-	बी (नयी कर व्यवस्था)/OPTION-I		B.10.10.11
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विक		ने कर्मचारियों को आयकर घोषणा फो		
		eclaration form for the F.Y. 202		
	करयोग्य आय/⊺	Taxable Income	कर (दर)/Tax (Rate)	
	तक /Up to	o रु. 2,50,000	शून्य/NIL	
		o रु. 5,00,000 तक	5%	
		o रु. 7,50,000 तक	10%	
		o रु.10,00,000 तक	15%	
		o रु. 12,50,000 तक	20%	
		o रु. 15,00,000तक	25%	
		करु. 15,00,000 से		
		, ,	30%	
		उपकर @ 4% प्रभार्य है। / Cess @ 4%  is chargeable ।	on income tax.	
मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू नये	ो स्लैब में बने रहने का चय	न करता हूँ और वि.व. 2022-23 में	इसके परिशोधन की मांग नहीं	करूंगा।
		-23 and I will not ask for revision		

\_\_\_\_\_\_ नाम/Name \_\_\_\_\_\_\_ पदनाम/Designation \_ हस्ताक्षर/Signature:\_\_

(यह प्रपत्र पुरानी कर व्यवस्था अर्थात विकल्प/ए का चयन करने वाले कर्मचारियों को दिया जाए-This form is to be given to the employees selected the Old regime i.e. Option-A)

#### परमाण् ऊर्जा शिक्षण संस्था

(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)

#### ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

Central Office, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai - 400 094.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत वांछनीय कटौतियों / छूट के दावों के संबंध में परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था कर्मचारियों द्वारा घोषणा

DECLARATION BY AEES EMPLOYEES REGARDING CLAIM OF ELIGIBLE DEDUCTIONS/EXEMPTION UNDER PROVISIONS OF THE I.TAX ACT 1961 DURING THE FINANCIAL YEAR 2022-23.

#### यह प्रपत्र विकल्प-बी का चयन करने वाले कर्मचारियों को नहीं भरना है/ THIS FORM NEED NOT TO BE FILLED BY THE EMPLOYEES WHO OPTED OPTION-B.

#### निर्देश/INSTRUCTIONS:

सभी कर्मचारियों द्वारा घोषणा दिनांक 10 अगस्त,2022 तक संबंधित प्रधानाचार्य,प.ऊ.कें.वि./क.म.वि. और सहायक लेखा अधिकारी (वेतन) को जमा की जाए।

Declaration is to be submitted to Principal, AECS/JC &AAO(Salary) by all employees on or before 10/08/2022.

- .) प्रत्येक कटौती ∕ छूट दावे के समर्थन में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो कृपया समर्थक दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।
- Please enclose photocopies of supporting documents wherever required in support of each claim of deduction/exemption.
- 2) कृपया किसी दावे जहाँ भुगतान यथासमय किया जाना प्रस्तावित है, के मामले में दिनांक 31.12.2022 तक दस्तावेजी प्रमाणप्रस्तुत करने का वचन दें।घोषणा जमा न किए जाने या अमान्य दावे के कारण कर देयता में किसी वृद्धि के लिए संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होगा।
  - In case of any claim where payments are proposed to be made in due  $\cot \overline{\epsilon}$ , e, please give under taking for submission of documentary evidence on or before 31/12/2022. Any increase in Tax liability due to non-submission of declaration or invalid claim, responsibility lies with the employee concerned.
- 3) कृपया संलग्न शीट के अंत में सत्यापन, वचन और प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करें।
  - Please sign verification, undertaking and certificate at the end of the enclosed sheet.
- 4) एक बार घोषणा प्रपत्र जमा कर दिए जाने के बाद आगे अतिरिक्त प्रमाण जमा करते समय इसे दुबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।अतिरिक्त बचतयिद कोई है, तो इसके दस्तावेज की फोटो प्रति पर कर्मचारी संख्या और कम्प्यूटर कोड संख्या लिख कर जमा की जा सकती हैं।
  DECLARATION FORM ONCE SUBMITTED, NEED NOT BE SUBMITTED AGAIN WITH SUBSEQUENT ADDITIONAL PROOFS. Any additional savings can be submitted by mentioning Employee No. and C.C. No. on the xerox copy of the document.
  - 1. धारा 10 (13ए) के अंतर्गत मांगी गई मकान किराए भत्ताछूट के संबंध में ब्योरा: (इस संबंध में करार और किरायेकी रसीदों के साथ अलग से दावा प्रस्तुत करें।)

#### PARTICULARS IN CASE HRA EXEMPTION SOUGHT UNDER SECTION 10 (13A):

(A separate claim is to be submitted in this regard with copies of agreement, rent receipts and copy of PAN card of owner)

भुगतान किया किराया Rent paid	प्रभावी होने की तारीख With effect from	मालिक का नाम और पता Name and address of the owner	मकान मालिक की पैन संख्या PAN No. of the owner
रु. प्रति माह रु. per month			

अध्याय VI-एकी अन्य धाराओं के तहत मांगी गई कटौती के संबंध में ब्योरा:

I.इक्किटी शेयरों में निवेश (৪০सीसीजी के तहत) (आयकर विभाग द्वारा अधिसूचना के अधीन): दस्तावेजी साक्ष्य अनुलग्न किया जाए। (अधिकतम रु. 25,000/- की निवेश राशि पर 50%छूट की अनुमति है।)

#### PARTICULARS IN CASE DEDUCTION SOUGHT UNDER OTHER SECTIONS OF CHAPTER VI-A:

I. Investment in Equity Shares (U/S 80CCG) (Subject to Notification by IT Deptt): Documentary evidence should be enclosed. (Rebate allowed is 50% of amount invested subject to maximum of \$25,000/-)

संस्था का नाम Name of the institution	भुगतान की तारीखDate of Payment	, , ,

II. चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान (धारा 80डी के तहत): दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए। (अधिकतम रु. 25,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रु. 50,000)
MEDICAL INSURANCE PREMIA PAID (U/S 80D): Documentary evidence should be enclosed. (Maximum Rs.25,000 and for Sr.CitizensRs.50,000)

बीमा योजना का नाम Name of the Insurance Scheme	नाम, आयु और कर्मचारी के साथ व्यक्ति का संबंध / Name, Age and relation of the person with the employee	गॅलिसी संख्याPolic Number	भुगतान की तिथिDate of Payment	भुगतान की राशि (रु.) Amount paid (रु.)

III. विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास पर व्यय (धारा 80डीडी के तहत): आयकर नियमों में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारानिर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुलग्न की जाए। (अधिकतम रुपये 75,000 और गंभीर विकलांगता के लिए रुपये 1,25,000)

EXPENDITURE INCURRED ON MEDICAL TREATMENT, TRAINING AND REHABILITATION OF A DEPENDENT BEING A PERSON WITH DISABILITY (U/S 80 DD): A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in income tax Rules in the prescribed format should be enclosed.

(Maximum Rs.75,000 and for severe disabilityRs.1,25,000)

अं.स्वा.से.यो. अभि		अं.स्वा.से.यो. संख्या	विकलांगता का	वहन व्यय राशि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले
अनुसार आश्रितों के नामी the dependent CHSS Record	as per	वं संबंध/रिश्ता /CHSS Number & Relationship	प्रकार Nature of disability	(হ.) /Amount of expenditure incurred (হ.)	प्राधिकारी का नाम एवं पता।Name & address of the certificate issuing authority.

IV. स्वयं और/ या आश्रित (पित/पत्नी एवं संतान) की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज (धारा 80-ई के तहत): यह कटौतीकर निर्धारिती द्वारा ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू करने के वर्ष से केवल 8 लगातार निर्धारण वर्षों के लिए स्वीकार्य है। वित्तीय संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त/ देय ब्याज का प्रमाणपत्र ऋण संस्वीकृत पत्र और किए जा रहे पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि के साथ अनुलग्न किया जाए। INTEREST ON LOAN TAKEN FOR HIGHER EDUCATION OF SELF AND / OR DEPENDENT (SPOUSE & CHILDREN) (U/S 80-E): This deduction is allowable only for 8 successive Assessment years from the year in which the assessee starts paying interest on loan. A certificate of interest paid / payable issued by the financial institution alongwith loan sanction and photocopy of course attending should be enclosed.

		1 1 3		
वित्तीय संस्थान  का नाम Name	शिक्षण संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम /	ऋण संस्वीकृतिः	वालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान
of the Financial	∕ प्रवेश की तारीख	पाठ्यक्रम की अवधि /	की तारीख	की राशि (रु.) /Amount
Institution	Name of the	Name of the	/Date of	of interest paid during
	Educational	course	sanction of	the current year (रु.)
	Institution/ Date of	/Duration of	loan	
	Admission	course		
	1			
	1			
	!			

V. विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80यू के तहत): आयकर नियमों में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुलग्न की जाए।

#### (अधिकतम रुपये 75,000 और गंभीर विकलांगता के लिए रुपये 1,25,000)

DEDUCTION IN THE CASE OF A PERSON WITH DISABILITY (U/S 80U): A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in Income tax rules in the prescribed format should be enclosed.

(Maximum ₹.75,000 and for severe disability₹.1,25,000)

विकलांगताका प्रकार	वेकलांगता का प्रतिशतता Extent (%)	प्रमाणपत्र जारी करने वालेप्राधिकरण
Nature of Disability	of disability	/चिकित्सा प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता Name, Designation and address of the certificate issuing authority/Medical Authority

VI. धारा 80-सीसीसीडी(1-बी) के तहत रु. 50,000 की अतिरिक्त कटौती अनुमत है।

An additional deduction of হ. 50,000 is allowed under Section 80-CCD(1-B)

क्र.सं.	बचत का प्रकार	रसीद /पावती संख्या	बैंक का नाम/ Name	भुगतान की	भुगतान राशि	टिप्पणियां /
Sr.No.	Nature of Savings	Receipt/Ack.No	of the Bank	तिथि/ Date	(रु.)	Remarks
				of payment	Amount	
					paid (रु.)	
	अधिसूचित पेंशन योजना निवेश (80					
	सीसीडी (1B)) /Notified Pension					
	Scheme investments (80CCCD 1B)					

3. वर्ष के दौरान किए गए निवेशों/बचतों के लिए अध्याय VI-ए की धारा 80-सी के तहत मांगी गई कटौती के संबंध में विवरणधारा 80 सीसीई के तहत कुल कटौती की सीमा रु. 1,50,000/- है। दस्तावेजी साक्ष्य अनुलग्न किया जाए। पीएफ/एलआईसी/ समूह बीमा आदि के लिए वेतन बिलों के माध्यम से किए गए भुगतानों का विवरणप्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

PARTICULARS IN CASE OF DEDUCTION SOUGHT UNDER SECTION 80-C OF CHAPTER VI-A TOWARDS INVESTMENTS / SAVINGS MADE DURING THE YEAR. Aggregate deductions under section 80 CCE are allowed to the extent of  $\overline{v}$ .1,50,000/-. Documentary Proofs should be enclosed. **Details for payment made through salary bills for** 

PF/LIC/GROUP INSURANCE etc. need not be furnished.

	IC/GROUP INSURANCE etc. need	पॉलिसी संख्या रसीद/पावती संख्या	डाक/बैंक/कंपनी का नाम/	भुगतान की तिथि/ Date of	भुगतान राशि (रु.)	अभ्युक्तियाँRe marks
क्र.सं. Sr.No	बचत का प्रकार Nature of Savings	Policy No. Receipt/Ack.No	Name of the Post/Bank/ Company	payment	Amount paid (হ.)	marks
1.	जीवन बीमा किस्त का भुगतान। (वार्षिक/छमाही/तिमाही/मासिक) Life Insurance Premium paid.(yearly/half yearly/quarterly/monthly)					
2.	यूलिप/पीएलआई/ULIP / PLI					
3.	सार्वजिनक भविष्य निधि / P.P.F					
4.	प्रदत्त शिक्षण-शुल्क (दो बच्चों तक सीमित) / Tuition Fees paid (limited to two children)					
5.	राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) /National Saving Certificate (NSC)					
6.	म्यूचुअल फंड/ ईएलएसएस/ Mutual Fund / ELSS					
7.	सावधि जमा (किसी अनुसूचित बैंक में न्यूनतम 5 साल की अवधि के लिए) /Fixed Deposit (for a minimum period of 5 years in a Scheduled Bank)					
8.	मकान की खरीद पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क IStamp Duty/Registration Fees paid on purchase of House.					
9.	अधिसूचित पेंशन योजना निवेश (80 सीसीसी) /Notified Pension Scheme investments (80CCC)					Dogo A of 6

	आयकर अधिनियम,	1961 की धारा 80सी वे	तहत आवास ऋण कटौती का	ब्यौरा।			
10.	(मकान संपत्ति का ब्यौरा संलग्न प्रारूप में भी भरें।)						
	PARTICULARS of Housing Loan deduction u/s 80C of the Income Tax Act, 1961. (The PARTICULARS of House Property should also be filled in the format enclosed)						
	वित्तीय संस्थान का नाम : सरकारी बैंक आदि /						
क/a	Name of the Financial institution :						
.,	Government Bank etc.						
	ऋण लेने की तारीख :						
ख/b	Date when Loan taken						
	लिए गए ऋण की राशि / Amount of Loan availed						
ग/c	Loan availed						
	जिस संपत्ति के लिए ऋण लिया गया, उसका						
घ/d	पता।Address of the property for						
9/u	which loan availed.						
	मकान के पूर्ण होने /कब्जे की तिथि। / Date of						
ङ∕e	Completion/ Possession of House.						
	ऋण का प्रयोजन : पहली खरीद / पुनर्बिक्री						
	खरीद/निर्माण/नवीकरण / मरम्मत/						
च/f	Purpose of Loan : First Purchase/Resale						
	Purchase/Construction/Renovati						
	on/Repairs						
	वर्ष 2022-23 के दौरान चुकाए गए ऋण						
₹/«	(मूल) की राशि / Amount of Loan						
छ/g	(Principal) Repaid during the year 2022-23.						
	1)दस्तावेजी प्रमाण अर्थात पूर्णता/दखल/कब्जा बिक्रीनामेकी भी एक प्रति प्रस्तुत करें।	। प्रमाणपत्र (यदि पहली ब	ार दावा किया जा रहा है) संल्	न्यू किया जाना च	ाहेए।पंजीकृत <b>व</b>	क्रार∕	
		/occupation/posse	ssion certificate (if clai	ming for the	First time) s	should be	
Documentary proof i.e. completion/occupation/possession certificate (if claiming for the First time) sh enclosed. A copy of the registered agreement/sale deed may also be submitted.							
नोट 2) मकान संपत्ति लागत में मकान संपत्ति अधिगृहीत करते समय भुगतान किए गए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य व्यय शामिल होंगे।					۱ ا		
Note	Payments towards the cost of house property will include stamp duty, registration fee and other expenses while acquiring the home property.						
	3) गृहि परिवार के सुवस्त्रों के साथ सं	3) यदि परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त नाम में मकान खरीदा गया है / निर्माण किया है, तो आवश्यक घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाए।					
	If the house purchased/constru	icted is in joint nan	ne with family member				
	<u> </u>	su	bmitted.				

### सत्यापन प्रमाणपत्र और वचनपत्र VERIFICATION CERTIFICATE & UNDERTAKING

1. मैं प्रमाणित करता / करतीहूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरेपूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

I certify that the above PARTICULARS furnished by me are true and correct to the best of my knowledge and belief.

2. मेरे द्वारा पेश किए गए उपरोक्त दावों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों/प्रमाणपत्रों की छायाप्रति दिनांक 31.12.2022 तक प्रस्तुत करने का मैं वचन देता/देती हूँ। मूल दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाणपत्र के अभाव में किसी दावे की अस्वीकृति की जिम्मेदारी मेरी होगी।

I undertake to produce photocopies of documentary evidences/certificates in respect of the above claims preferred by me on or before 31/12/2022. Onus of rejection of any claim for want of original documentary evidences/certificates lies with me.

3. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि पॉलिसियों को प्रभावी रखने के लिए मैं बीमा किस्तों का भुगतान नियमित रूप से करता / करती रहूँगा / रहूँगी।

I certify that I shall continue to pay Insurance Premium regularly in order to keep the policies in force.

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है,उसका दिनांक 31/03/2023 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।

I certify that the house property for which rebate is being claimed will not be transferred / disposed off till **31/03/2023.** 

कर्मचारी पहचान संख्या / EMPID NO:	
कंप्यूटर कोड संख्या / COMPUTER CODE NO:	
कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	
Name & designation of the employee	हस्ताक्षर/ Signature
	दिनांक / Date

## प्रपत्र: 12-सी/ Form: 12-C

# भकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत घटौती के दावेहेतु घोषणा Declaration for claiming rebate under the head INCOME FROM HOUSE PROPERTY (प्रत्येक मकान हेतु अलग-अलगप्रपत्र का प्रयोग करें।) (Use Separate sheet for each house)

1.	Name of the Employee/नाम	Design	
2.	मकान संपत्ति का पता/Address of House Property		
3.	—————————————————————————————————————	cupied खाली/Un Occupied Let Out	
4.	. मकान संपत्ति से आय (हानि यदि कोई हो, सहित) का ब्यौरा /PARTICUL Property	LARS of Income (including Loss, if any) from	ı House
₽.1	धारा 23 के तहत संपत्ति का कुल वार्षिक मूल्य / Gross Annual Value राशि जिस पर संपत्ति यथोचित रूप से किराए पर दी गई है। / Amount for which		
1.2	अथवा वार्षिक नगरपालिका मूल्यांकन या वार्षिक किराया मूल्य/ OR Annu अथवा प्राप्तवास्तविककिराया, जो भी अधिक हो/ OR Actual Rent Rec 2 घटाएँ: वर्ष 2022-23 में मकान मालिक द्वारा नगरपालिका करोंकी वास्तवि	ual Municipal Valuation or Annual lettable veceived, whichever is higher	/alue
	(स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।) Less: Municipal Taxes actually paid by the owner in the year 2022-23 (self-attested photo copy		
	Should be enclosed)	(ख/B)	
1.3	3 संपत्ति का निवल वार्षिक मूल्य/Net Annual Value of the property	7 (π/C)	
1.4	4 स्वीकार्यकटौतियाँ ∕ Deductions Admissible		
	a)  मरम्मत और समाहरण प्रभार के लिए निवल वार्षिक मूल्य का 30% 30% of Net Annual Value (C)	% (सी) /	
	For Repairs and Collection charges.	(क/a)	
	b) उक्त मकान संपत्ति को अर्जित करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रदत्त (समर्थक दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।)	त्त ∕ देय ब्याज।	
	Interest paid/payable on the borrowed capital for acquiring said house property (self attested copies o	( <b>國</b> /b)	
	Supporting documents should be attached)	(ক/a+ख/b) (ঘ/D)	
1.5	5 निवल प्रभार्य आय: मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत (ग-घ) /		
	Net Chargeable Income: (C-D) under the head Income from house property	(ङ·/E)	
	nom nouse property	(a. \ E)	

#### प्रमाणपत्र एवं सत्यापन/CERTIFICATE AND VERIFICATION

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, उसका दिनांक 31/03/2022 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।

I CERTIFY THAT THE HOUSE PROPERTY FOR WHICH REBATE IS BEING CLAIMED WILL NOT BE TRANSFERRED / DISPOSED OFF TILL 31.03.2022.

2. मैं प्रमाणित करता ∕ करतीहूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरेपूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

I CERTIFY THAT THE ABOVE PARTICULARS FURNISHED BY ME ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.

हस्ताक्षर और तारीख : SIGNATURE WITH DATE :
कर्मचारी का नाम/NAME OF THE EMPLOYEE:
कर्मचारी पहचान संख्या / EMPID NO:कंप्यूटर कोड संख्या / COMPUTER CODE NO
टिप्पणियाँ/Notes :

1) उपरोक्त खंड 4.4 (ख) में पूर्व (लेखा) वर्ष जिसमें संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, से पूर्व अविध के लिए उधार ली गई पूंजी (यदि कोई) पर पूर्व- निर्माण/ पूर्व- ईएमआई ब्याज शामिल है। ये ब्याज धारा 24 के तहत उस वित्तीय वर्ष जिसमें मकान अर्जित या निर्मित किया गया है से शुरू होकर पाँच बराबर किश्तों में काटी जाएगी।

Term 4.4(b) above includes Pre – construction / Pre-EMI Interest on borrowed capital (if any) for the period prior to the previous (accounting) year in which the property has been acquired or constructed. Such interest shall be deducted u/s 24 in five equal installments commencing from the financial year in which the house is acquired or constructed.

2) यदि मकान संपत्ति में कई तल हैं तो इसे कई निवास यूनिटों के रूप में माना जाएगा।

If a house property consists of many floors, it will be treated as having as many dwelling units.

3) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज उधार देने वाले संस्थान से प्राप्त विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों से समर्थित होनी चाहिए, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

Interest on borrowed capital should be supported with duly signed certificates obtained from the lending institution, Provisional certificate should be duly signed by issuing authority.

4) जहाँ संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है और उनके संबंधित शेयर स्पष्ट और सुनिश्चित हैं तो मकान संपत्ति से आय में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का शेयर उनकी संबंधित आय में शामिल किया जाए।

Where property is owned by two or more persons and their respective shares are definite and ascertainable then the share of each such person in the income from house property should be included in their respective income.

5) जैसा कि मकान संपत्ति से आय का निर्धारण संबंधित कर्मचारी/कर निर्धारिती से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है, अत: इसकी शुद्धता/ सत्यता के लिए कर्मचारी/कर निर्धारिती पूर्णतया जिम्मेदार है।

The employee / assessee is wholly responsible for its correctness, as far as income from House Property determined on the basis of information furnished by him/her is concerned.